>

Title: Need to set up one developmental block at Chitrakonda, Orissa.

श्री प्रदीप माझी (नवरंगपुर): धन्यवाद चेयरमैन सर, मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस विषय को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, हमारे मंत्री नारायणसामी जी अवगत हैं उस बारे में। चेयरमैन साहब, एक जिले में, अगर जिले की बाउंड्री का एक गांव है, अगर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में जाएगा तो कम से कम सारे देश में डिस्टेंस होगा ज्यादा से ज्यादा 100 किमी या 150 किमी। मेरी कांस्टीटयूंसी में मलकानगिरी में एक कालीमेला ब्लाक है, उसकी जो बाउंड्री है, वह कम से कम 150 किलोमीटर है। वहाँ पर दो पंचायतें हैं - कुरमालूर और पापलूर, जहाँ से कोई गरीब आदिवासी यदि इंदिरा आवास के लिए या पेंशन के लिए ब्लाक हैडक्वार्टर को जाता है तो उसको 125 किलोमीटर पड़ता है जिसमें से 30 किलोमीटर वह मोटरबोट में आता है और बाकी लगभग सौ किलोमीटर वह रोड से जाता है। अभी पंद्रह दिन पहले मलकानगिरी कलैक्टर को नक्सलाइट्स ने अगुवा किया था, तो उनकी यही मांग थी कि वहाँ पर एक नया ब्लाक चितूकुंडा नाम से बनाया जाए जिसमें कुड़मुलगुमा की कुछ पंचायतें और कालीमेला की कुछ पंचायतें हों तथा आस-पास की पंचायतों को मिलाकर वहाँ एक नया ब्लाक बनाया जाए। वहाँ जो आदिवासी हैं, हर साल 10-15 हज़ार आदिवासी ब्लाक का घेराव करते हैं, कलैक्टरेट घेराव करते हैं, अनशन पर बैठते हैं कम से कम महीना भर। जब सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो वे नक्सलियों के पास जाकर उनका सहारा भी लेते हैं। इसीलिए मेरी सरकार से मांग है। नारायणसामी जी यहाँ बैठे हैं, वे इस बारे में सब जानते हैं। **...**(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रखंड पंचायत समिति, ज़िला परिषद् से प्रस्ताव पास करा दीजिए।

श्री प्रदीप माझी : जिला परिषद् से रिकमंड हो गया है और कलैक्टरेट से भी रिकमंड हो गया है। स्टेट ने भी रिकमंड कर दिया है। **...**(व्यवधान)

सभापति महोदय : जनगणना के बाद बनने का कानून है।